



रजिनोन०एल०डब्लू/एल०पी०८९०
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बहस्पितिवार, 7 जनवरी, 1999

पौष 17, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं संस्थागत वित्त, अनुभाग-५

संख्या क०सं०वि०५-२३/११-९९-२१८(२१)-९७

लखनऊ, 6 जनवरी, 1999

अधिसूचना

प०आ० 40

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या एस०आर०-२४०३/११-९७-२१८(१६)-९७ दिनांक 12 अगस्त, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, शब्द "महामाया नगर" और "छत्रपति साहू जी महाराज नगर" जहां कहीं भी आये हो, के स्थान पर क्रमशः शब्द "हाथरस" और "चित्रकूट" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
हरीशचन्द्र गुप्त,
प्रमुख सचिव।